

18-08-25


पत्रावली वैश डई। वकील अपीलान्त उप०। रेस्पॉन्स की ओर
से वकील श्री देवीलाल द्वारा क्कालतनामा वैश किया गया।
जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील रेस्पॉन्स द्वारा
अपीलान्त की अपील स्वीकार करने पर कोई आपत्ति
नहीं होना जाहिर किया गया। वकील उभयपक्ष को

— लगातार

अपीलान्त वकील
पत्रावली अपील
उभयपक्ष को
देखी जाय

सुना गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अपलोड करने पर अपीलेंट की अपील स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील होकर दायित्व दफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर पुले मापलप में सुनाया गया।


(सुनीलकुमार-चौधन)
RAS.